


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान बनाम

प्रकरण संख्या / अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नया जो इस पालना
२७ ०३ / २३	<p>अधिवक्तागण उपस्थित ^{मजिद} बहस सुनी गयी निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। प्राथमिक का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA इस स्वीकार किया जाता है। पत्रावली निर्णय होकर मूलवाद के साथ संलग्न है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर </p>	

